छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 08/08 /2014

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" की व्यवस्था का पालन करने बाबत्।

—:::—

आपको विदित है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की दिशा में शासन द्वारा किए गए प्रयासों के तहत् आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित की गई "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" के वेब पोर्टल http://ecastecert.cg.nic.in का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.02.2014 को किया जा चुका है तथा इस उक्त व्यवस्था को लागू करने के संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के ज्ञापन कमांक 1473/आर/1228/2012/25–2, दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" की व्यवस्था के लिए एन.आई.सी. द्वारा उपयोगकर्तावार सृजित किए गए "पासवर्ड" की जानकारी ज्ञापन कमांक 1708/1228/2012/25–2, दिनांक 06 मार्च, 2014 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर्स एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अवगत कराया गया है।

2/ कृपया "ऑनलाईन ई–कॉस्ट सर्टिफिकेट" की व्यवस्था के संबंध मे आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किए गए उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 26.02.2014 एवं 06.03.2014 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां.क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 08/08 /2014

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. परियोजना संचालक, एन.आई.सी. मंत्रालय, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग